

24.08.2024

आवेदिका अनुपस्थित। (11.30 बजे)

अनावेदक द्वारा अशोक तिवारी, अधिवक्ता।

आवेदिका की ओर से कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं।

प्रकरण तर्क/आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण में आवेदिका को बार-बार पुकार लगायी गयी। आवेदिका अनुपस्थित है।

प्रकरण थोड़ी देर पश्चात पुनः रखी जावे।

सही/—

(शैलेश कुमार वशिष्ठ)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला—राजनांदगां (छ.ग.)

पुनश्च:—

आवेदिका अनुपस्थित। (01.30 बजे)

अनावेदक द्वारा अशोक तिवारी, अधिवक्ता।

आवेदिका की ओर से कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं।

प्रकरण तर्क/आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण में आवेदिका को बार-बार पुकार लगायी गयी। आवेदिका अनुपस्थित है।

प्रकरण थोड़ी देर पश्चात पुनः रखी जावे।

सही/—

(शैलेश कुमार वशिष्ठ)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला—राजनांदगां (छ.ग.)

पुनश्च:—

आवेदिका अनुपस्थित। (03.30 बजे)

अनावेदक द्वारा अशोक तिवारी, अधिवक्ता।

आवेदिका की ओर से कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं।

प्रकरण तर्क/आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण में आवेदिका को बार-बार पुकार लगायी गयी। आवेदिका अनुपस्थित है।

प्रकरण थोड़ी देर पश्चात पुनः रखी जावे।

सही/—

(शैलेश कुमार वशिष्ठ)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला—राजनांदगां (छ.ग.)

पुनश्च:-

आवेदिका अनुपस्थित । (04.45 बजे)

अनावेदक द्वारा अशोक तिवारी, अधिवक्ता ।

आवेदिका की ओर से कोई प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं ।

प्रकरण तर्क/आदेश हेतु नियत है ।

प्रकरण में आवेदिका को बार-बार पुकार लगायी गयी । आवेदिका अनुपस्थित है । प्रकरण में आवेदिका के अनुपस्थिति के कारण प्रकरण को आगे जारी रखे जाने की रुचि दर्शित नहीं हो रही है । अतः प्रकरण आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख नियत अवधि में व्यवस्थित कर जिला अभिलेखागार भेजी जावे ।

सही/-

(शैलेश कुमार वशिष्ठ)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगां (छ.ग.)